रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-73 REGISTERED No. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Central Secretariat Library
3 JUL 1974

सं० 154] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 1974/आषाढ़ 6, 1896
No. 154] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 1974/ASADHA 6, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 19th June 1974

SUBJECT.—*Constitution of Inter-Ministerial Committee to review compensatory allowances for export products.*

No. 12(3)/73-EAC.—Government have been feeling the necessity to have a Standing institutional arrangement to review the conditions of market for exports, and cash compensatory allowance for the export products from time to time, depending on long term and stable trends in costing and prices realised and other relevant factors. It has been decided, therefore, to constitute an Inter-Ministerial Committee to review costs of production, f.o.b. realisation, and freight rates (where freight subsidy is afforded), for the export products admissible from time to time. The Committee will consist of the following:—

Chairman

1. Additional Secretary, Ministry of Commerce.

Members

2. Additional Secretary Department of Expenditure.
3. Additional Secretary, Department of Economic Affairs.
4. Chief Controller of Imports & Exports.
5. Director (EA), Ministry of Commerce.
6. Development Officer (E.P. Engg.), Directorate General of Technical Development.
7. Development Officer, (E.P. Chem.), Directorate General of Technical Development.

The Chairman will also have the powers to co-opt. other concerned officers *ad hoc* as and when any necessity may arise. The Committee would meet once a quarter ordinarily or oftener, if necessary to consider modifications, if any, required in the

levels of cash compensatory allowance taking into account the developments that might have taken place from time to time.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

R. TIRUMALAI, Addl. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 19 जून, 1974

विषय.—निर्यात उत्पादों हेतु प्रतिपूरक भत्तों का पुनरीक्षण करने के लिए अन्तः मंत्रालय समिति का गठन

सं० 12(3)/73ई० ए० सी०.—सरकार, लागत निर्धारण और प्राप्त होने वाली कीमतों से संबंधित दीर्घावधि तथा स्थिर प्रवृत्तियों तथा अन्य संगत कारणों पर निर्भर रहते हुए समय-समय पर बाजार परिस्थितियों और निर्यात उत्पादों हेतु नकद प्रतिपूरक भत्ते का पुनरीक्षण करने के लिए स्थायी संस्थागत प्रबंध करने की आवश्यकता अनुभव करती है। अतः समय-समय पर मनुज्ञेय निर्यात उत्पादों हेतु उत्पादन लागतों, जहाज पर मूल्य प्राप्ति, और भाड़ा दरों (जहां कि भाड़ा उपदान दिया जाता है) का पुनरीक्षण करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

अध्यक्ष

1. अपर सचिव,
   वाणिज्य मंत्रालय।

सदस्य

2. अपर सचिव,
   व्यय विभाग।
3. अपर सचिव,
   आर्थिक कार्य विभाग।
4. मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात।
5. निदेशक (ई०ए०), वाणिज्य मंत्रालय।
6. विकास अधिकारी (ई०पी० इंजी०) तकनीकी विकास महानिदेशालय।
7. विकास अधिकारी (ई०पी०के०) तकनीकी विकास महानिदेशालय।

जैसे ही और जब आवश्यकता होगी अध्यक्ष को तदर्थ आधार पर अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को सहयोजित करने की शक्तियां भी होंगी। समिति की बैठक, यदि आवश्यक हो, ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कि समय-समय पर हुई हों, नकद प्रतिपूरक भत्ते के स्तरों में अपेक्षित संशोधनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के लिए साधारणतया अथवा प्रायः तिमाही में एक बार होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रतिलिपि सभी संबद्धों को भेज दी जाए।

आर० तिरुमलाई, अपर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974